355

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।

प्र.क्र./ /निग./अ-27/2016-17, निग 3488-I-16

1. श्री मती रजिया खातून पत्नी अयूब खाँ
निवासी बसारी दरवाजा छतरपुर म.प्र.। ------------ आवेदिका
तहसील छतरपुर जिला- छतरपुर म.प्र.।

बनाम

1. बिहारी तनय स्व. भंगी उर्फ प्रभूदयाल तनय मुलू उर्फ
मूलचन्द्र कुशवाहा ,

2. भगवानदास कुशवाहा,	पिस. स्व. नाथूराम तनय मुलू उर्फ मूलचन्द्र कुशवाहा ,
3. लक्ष्मीप्रसाद कुशवाहा	
4. शीतल प्रसाद कुशवाहा	
5. चम्पाबाई कुशवाहा	
6. लक्ष्मीबाई कुशवाहा	
7. कमलेश कुशवाहा,	पिस. स्व. मदनलाल कुशवाहा तनय मुलू उर्फ मूलचन्द्र कुशवाहा,
8. विमलेश कुशवाहा	
9. सरमन कुशवाहा,	
10. मोहन कुशवाहा,	
11. तुलसाबाई कुशवाहा,	
12. प्यारीबाई कुशवाहा	पुत्रीगण स्व. श्री भंगी उर्फ प्रभूदयाल कुशवाहा तनय मल उर्फ मलचन्द्र कुशवाहा
13. चमेली बाई कुशवाहा,	

समस्त निवासी तमराई मुह. छतरपुर म.प्र.।

14. म.प्र.शासन।

--------------- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959।

निगरानी विरूद्ध निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महो. तह. छतरपुर के रा.प्र.क्र. 65/अपील/अ-27/2015-16, में पा.आ. दि. 22-7-2016, से दुखी होकर।

महोदय,

आवेदिका श्री मान् के समक्ष निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारो

श्री मती रजनी वकील 5/10/16

5-10-16

5/10/16

176
05-X-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 3488-एक/ 2016

जिला-छतरपुर

श्रीमती रजिया कातून विरूद्ध बिहारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक क्र. 3 की ओर से अभिभाषक श्री लाखन सिंह धाकड़ उपस्थित । 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 05-10-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस	

न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जांयें ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य